प्रेषक,

पी०एल०शाह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
समुदाय केन्द्र प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3, देहरादून: दिनांक 08 सितम्बर,2009

विषय:- गुरु नानक माडल स्कूल रामनगर रोड,काशीपुर,उधमसिंहनगर को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन(सी.बी.एस.ई.).नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गुरु नानक माडल स्कूल रामनगर रोड,काशीपुर,उधमसिंहनगर को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.),नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:–

(क) उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को कौंऊंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन,नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्डो द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(ख) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ग) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।

(घ) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

(ड़) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सैकेण्ड्री एजूकेशनल,नई दिल्ली/कौंसिल फार इण्डियन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

(च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(छ) विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

(ज) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगें, संस्था उनका पालन करेगी।

(झ) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(ट) उक्त शर्तो में, बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/संशोधन/ परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2. गुरू नानक माडल स्कूल,रामनगर रोड,काशीपुर उधमसिंहनगर गुरूद्वारा धार्मिक संस्था (गुरू द्वारा सिंह सभा) की भूमि पर संचालित किया जा रहा है। उक्त विद्यालय द्वारा सभी भूमि उपयोग/निर्माण संबंधी नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त समस्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव।

संख्या 1204 (1)/XXIV-3/09/01(06)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक,विद्यालयी शिक्षा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
2. अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल,नैनीताल।
3. जिला शिक्षा अधिकारी,उधमसिंहनगर।
4. प्रधानाचार्य,गुरू नानक माडल स्कूल रामनगर रोड,काशीपुर उधमसिंहनगर।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव।